"राष्ट्रीय मतदाता दिवस"
दिनांक 25.01.2011

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग

फैक्स/ई–मेल

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना – 800015.

फोन नं0 – 0612-2217956
फैक्स नं0 – 0612-2215611
ई–मेल-ceo_bihar@eci.gov.in

पत्रांक :– बी1–3–213/2010– पटना, दिनांक जनवरी, 2011 ई0।

प्रेषक

कुमार अंशुमाली,
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

सेवा में

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–जिला पदाधिकारी (बिहार राज्य)।

विषय : राष्ट्रीय मतदाता दिवस – समारोह का आयोजन एवं मतदाताओं द्वारा ली जाने वाली शपथ।

प्रसंग : इस कार्यालय का पत्रांक 11800 दिनांक 10.12.2010 एवं भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक 491/IEC/2010/804 दिनांक 23.12.2010.

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र का कृपया संदर्भ किया जाये। इस पत्र के माध्यम से "राष्ट्रीय मतदाता दिवस" के अवसर पर जिला स्तर, मतदान केन्द्र स्तर की जाने वाले कार्रवाई संबंधी निदेश भी संसूचित किया गया था। विभिन्न स्तरों पर आयोजित होने वाले समारोहों में सभी उपस्थित नागरिकों को दिलाई जाने वाली प्रतिज्ञा का हिन्दी रूपांतरण कर भेजा गया था। भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्रांक 491/IEC/2010/804 दिनांक 23.12.2010 के माध्यम से "राष्ट्रीय मतदाता दिवस" के अवसर पर विभिन्न स्तरों पर आयोजित होने वाले समारोहों में सभी उपस्थित नागरिकों को दिलाई जाने वाली प्रतिज्ञा के हिन्दी रूपांतरण में आंशिक संशोधन कर प्रेषित किया गया है, जो निम्नवत् है :–

<u>मतदाताओं द्वारा ली जाने वाली शपथ</u>

"हम, भारत के नागरिक, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परम्पराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए, निर्भीक होकर, धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।"

साथ ही यह भी अनुरोध किया गया था कि दिनांक 01.01.2011 की अर्हता तिथि के आधार पर तैयार की गई फोटो निर्वाचक सूची के प्रारूप प्रकाशन के उपरांत दावों एवं आपत्तियों के निस्तार की अवधि समाप्त होने के पश्चात् तथा निर्वाचक सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् आयोग के पत्रांक 491/IEC/2010 (NRV) दिनांक 30.11.2010 के साथ संलग्न प्रपत्र 'ए' एवं 'बी' में प्रतिवेदन भेजा जाये (प्रपत्र की प्रति पुनः संलग्न)।

भारत निर्वाचन आयोग ने अपने पत्रांक 491/IEC/2010 (NRV) दिनांक 22.12.2010 के माध्यम से सूचित किया है कि 25 जनवरी को "राष्ट्रीय मतदाता दिवस" के अवसर पर समारोह का आयोजन निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के स्तर पर नहीं किया जाना है, बल्कि सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को अपने क्षेत्रान्तर्गत आयोजित होने वाले समारोहों से संबंधित प्रतिवेदन (गुणवत्ता वाले छायाचित्रों के साथ) संकलित कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाना है। अनुरोध है कि सभी संबंधित को तदनुसार सूचित करने की कृपा की जाये।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि दिनांक 25.01.2011 को जिला एवं मतदान केन्द्र स्तर पर समारोह का आयोजन करते हुए इसमें नये निर्वाचकों को त्रुटिरहित ईपिक वितरित किये जायें एवं उपस्थित सभी नागरिकों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ दिलायी जाये। उक्त समारोहों के संबंध में प्रतिवेदन (गुणवत्ता वाले छायाचित्रों के साथ) संकलित करते हुए इस कार्यालय को हार्ड एवं सॉफ्ट प्रति में एवं भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 491/IEC/2010 (NRV) दिनांक 30.11.2010 के साथ संलग्न प्रपत्र 'ए' एवं 'बी' में प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।

इसे कृपया उच्च प्राथमिकता दी जाये।

अनु0 : यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

ह0/-

(कुमार अंशुमाली)

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

ज्ञापांक : पटना, दिनांक जनवरी, 2011 ई0।

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार राज्य को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(कुमार अंशुमाली)

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।